आरएसएस कार्यालय के सामने की जमीन के लिए टकराव

वक्फ ट्रिब्यूनल में दायर याचिका पर आपत्ति ली तो वकील को घेरकर पीटा

धमकी भी दी, कहा- कल अदालत मत जाना

थाने में शिकायत दर्ज कराते वकील जगदीश छावानी।

भोपाल, देशबन्धु। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के कबाड़खाना स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) कार्यालय के सामने वाली जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि इस जमीन का केस हारने वाले मोहम्मद सुलेमान के खिलाफ केस लड़ रहे वकील जगदीश छावानी पर शुक्रवार दोपहर अज्ञात बदमाशों ने कलेक्टर कार्यालय के पास हमला कर दिया। बदमाशों ने उनसे मारपीट और गाली-गलौज की। आरोपियों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि तू हमारे खिलाफ खूब बोल रहा है। अगर कल अदलत गया, तो जान से मार देंगे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लालघाटी निवासी जगदीश छावानी ने बताया, वह दोपहर जिला अदालत से अपने एक पक्षकार से मिलने कोहेफिजा जा रहे थे। दोपहर करीब सवा 2 बजे जब वे कलेक्टर कार्यालय पास पहुंचे थे, तभी चार लोगों ने उन्हें घेर कर हमला कर दिया। बदमाशों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि तू इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। अदालत से बाहर निकलवाने का शौक है। चल अब अगर तू कल अदाल गया, तो जान से मार देंगे। इस बीच मौके पर लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी भाग गए। घटना के बाद जगदीश थाने पहुंच गए। पुलिस उनकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

एक दिन पहले भी धमकाया था

जगदीश ने बताया कि संघ कार्यालय केशव निडम के सामने स्थित 37 हजार वर्गफीट समेत सिंधी कॉलोनी और काजी कैंप सहित आसपास की 6.5 एकड़ जमीन का मामला वर्ष 2015 से वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इसमें मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद इमरान याचिकाकर्ता हैं। वे इसजमीन को कब्रिस्तान की बता रहे है। लेकिन इसमें से उच्च न्यायालय संघ कार्यालय के सामने स्थित 37 हजार वर्ग फीट की जमीन पर राजदेव सोसाइटी को कब्जा दे चुका है। यह जमीन हारने के बाद मोहम्मद सुलेमान ने इसको लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में आपात सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी। इसके बाद उन्होंने इस मामले में विधायक आरिफ अकील का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया था। इसमें श्री अकील ने इस पूरे क्षेत्र में कब्रिस्तान होने की बात कही है। उन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा कि 37 हजार वर्गफीट का कब्जा गैर कानूनी तरीके से राजदेव ट्रस्ट को सौंपा गया। वहीं इस मामले में श्याम नागवार ने भी वक्फ ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई है। उनकी तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल के अंदर लगभग डेढ़ सौ लोग घुस आए, जबकि उनका इस प्रकरण से लेना देना नहीं था, बावजूद इसके वह सुलेमान के पक्ष में हंगामा करने लगे। इस पर मैंने आपत्ति जताई थी। तो उन्होंने देख लेने की धमकी दी थी।

विदेशी महिला बनकर उपहार भेजने के नाम पर ठगने वाले नाईजीरियन युवक सहित 3 गिरफ्तार

भोपाल, देशबन्धु। नाइजीरियन युवक ने सोशल मीडिया पर पहले विदेश महिलाओं के नाम से फर्जी आईडी बनाई। इसके बाद लोगों को जाल में फंसाया। फिर दो सहयोगियों के साथ मिलकर शुरू किया ठगी का खेल। इसके तहत यह लोग उपहार भेजने के नाम पर उसे कस्टम में फंसे होने का कहकर अलग-अलग खातों में रुपए डलवाते थे। आरोपी दिल्ली में बैठकर देशभर में ठगी कर रहे थे। इन्होंने भोपाल में एक युवक से इसी तरह 11 लाख रुपए से अधिक ठग लिए थे। उसकी शिकायत पर साइबर क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर नाइजीरियन नागरिक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस के अनुसार भोपाल के रहने वाले पवन अग्रवाल नाम के युवक ने 1 जनवरी को ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उसने बताया, सोशल मीडिया पर विदेशी महिला के नाम पर दोस्ती का आग्रह भजा था। दोस्ती के बाद उनके बीच रोमांस की बातें होने लगी। कुछ दिन बाद उसने कहा कि वह क्रिसमस पर उपहार भेज रही है। उसके बाद फोन आया कि गिफ्ट करोड़ों का है, इसलिए एयरपोर्ट पर कस्टम में फंस गया। कस्टमर अधिकारी बनकर उसी आरोपी ने फोन कर उससे 8 बैंक खातों में 11 लाख 22 हजार रुपए 844 रुपए जमा करवाए। इसके बावजूद कई दिन बीतने पर जब उस तक उपहार नहीं पहुंचा तो उसने फोन पर संपर्क किया तो तब तक फोन बंद हो गया था। इस शिकायत पर जांच के बाद साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुक्रवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मूलतः नाइजीरिया का रहने वाले सोलोमोन वाजीरी 40 स्थायी निवासी नाईजीरिया, हाल निवासी पालम गांव दिल्ली, ईशांत माहे उम्र 32वर्ष निवासी विकासपुरी दिल्ली और जितेंद्र सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी उदय विहार दिल्ली शामिल है। आरोपियों ने अब तक की पूछताछ में 1 करोड़ से अधिक की ठगी कबूल की है।

कोरोना संक्रमित निकला मुख्य आरोपी, दिल्ली में कराया भर्ती

बताया गया है कि साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी नाइजीरिया निवासी सोलोमोन वाजीरी जब उसका कोरोना जांच कराई तो वह संक्रमित निकला। जिस पर पुलिस ने पीपीई कीट पहनकर उसे दिल्ली के कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे तिहाड़ जेल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया है। पुलिस अब उसे बाद में गिरफ्तार करेगी।

इस तरह जाल में फंसाते थे

साइबर क्राइम ब्रांच अब तक की पूछताछ में मुख्य आरोपी सोलोमोन वाजीरी ने बताया, उसने सोशल मीडिया पर विदेशी महिलाओं के नाम से कई आईडी बनाए थे। इसमें वह भारत में युवाओं के खातों पर नजर रखता था। इनमें से वह उन युवाओं को दोस्ती का आग्रह भेजते थे, जिनके खातों में अधिक रकम होती दोस्ती के बाद उसने रोमांस की बातें करते थे। दोस्ती के कुछ दिन बाद फरियादी को क्रिसमस गिफ्ट भेजने के नाम पर फंसाते थे। उन्हें बताते थे, उपहार महंगा है, इसे कस्टम ने रोक लिया है। उसे छुड़ाने के लिए उसे ही रुपए देने होंगे। इसमें कस्टम से लेकर कई तरह की प्रक्रिया पूरा करने के लिए अलग-अलग खातों में रुपए जमा करवा देते थे। जब लगता था, अब पीड़ित और रुपए नहीं दे सकता, तो हम अपना खाता और मोबाइल बंद कर देते थे।

गरीबों के नाम पर खुलवाते थे खाते

आरोपी ने बताया, पुलिस से बचने के लिए वह दूसरों के नाम पर बैंक में खाते खुलवाते थे। इसके लिए गरीब लोगों का ही मोबाइल नंबर से लेकर दस्तावेजों का उपयोग करते थे। खाता खुलने के बाद उनसे एटीएम लेकर उन्हें कुछ रुपए दे देते थे। रुपए निकालने के बाद खाते को यूं ही छोड़ देते थे। अब तक उनके द्वारा इस तरह के करीब 25 बैंक खाते खुलवाने की जानकारी मिल चुकी है।

घर में घुसकर भाभी के रस्सी से हाथ पैर बांधकर की ज्यादती

भोपाल, देशबन्धु। बैरसिया में एक महिला से उसके ही देवर ने घर में घुसकर दुष्कर्म कर दिया। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर महिला के हाथ पैर बांध दिए थे। ज्यादती करने के बाद उसने धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो वह उसे जान से मार देगा। आरोपी ने दुष्कर्म से पहले और बाद में उससे मारपीट भी की। घटना के करीब 1 महीने बाद महिला ने कल देर रात इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।

बैरसिया पुलिस के अनुसार 28 साल की महिला बैरसिया इलाके में रहती है। वह शादीशुदा है और उसका 6 साल का एक बेटा भी है। उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले दोपहर में वह अपने घर में सो रही थी। उसे अचानक लगा, जैसे उसके हाथ पैर किसी रस्सी से जकड़ गए हैं। उसकी आंख खुली तो सामने उसके चाचा ससुर का 24 साल का बेटा खड़ा हुआ था। उसने रस्सी से हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह पर कपड़ा भी लगा दिया था। इसके बाद उसने दुष्कर्म किया और मारपीट करते हुए धमकी देते हुए बोला कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। इतना ही नहीं उसने बदनाम करने की धमकी भी दी थी। महिला ने बताया कि घटना के बाद वह डर गई थी और उसे बदनामी का डर था। इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में देवर उसे परेशान करने लगा था। इसी कारण उसने घर वालों को भी इसके बारे में बता दिया। उनके कहने पर ही उसने रिपोर्ट करने की हिम्मत की। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में स्त्रद्धक्र की गई है। आरोपी महिला का परिचित है, इसलिए उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती है।

विशेष हस्तशिल्प मेले में संपूर्ण देश भर के उत्पाद उपलब्ध

भोपाल, देशबन्धु। संपूर्ण देश में बुनकरों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हस्तशिल्प उत्पाद अब भोपाल वासियों को गौहर महल में उपलब्ध कराए गए हैं। दरअसल हाथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं मप्र हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा देश-प्रदेश के बुनकरों को विपणन उपलब्ध कराने के लिए गौहर महल में 2 फरवरी तक विशेष हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के आयुक्त, सह प्रबंधक संचालक राजीव शर्मा ने बताया कि मेले का शुभारंभ बनारस (उप्र) के मास्टर बुनकर नजीर अहमद द्वारा किया गया। मेले में 11 राज्य आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, कर्नाटक, पं. बगाल, मध्यप्रदेश, झारखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा के बुनकर सहकारी समितियों द्वारा भाग ले रहे है। श्री शर्मा ने बताया कि इस विशेष हस्तशिल्प मेले का आयोजन बुनकरों को रोजगार देने एवं नगर वासियों को संपूर्ण भारत के हाथकरघा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। मेले में मध्यप्रदेश के चंदेरी महेश्वरी एवं सौंसर की कॉटन साड़ी, वारा सिवनी की कोसा साड़ी एवं सूट्स उपलब्ध है। यह मेला एक्सपो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहेगा। प्रतिदिन सायं को 6 से 8 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगे।

पराक्रम दिवस के रुप में मनाई जायेगी नेताजी की जयंती, होगी आतिशबाजी

भोपाल, देशबन्धु। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रुप में मनाई जायेगी। मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शाश्वत सक्सैना ने बताया कि नादरा बस स्टेण्ड चौराहे पर शाम 5.00 बजे होने वाले कार्यक्रम में मोर्चा के कार्यकर्ता मशाल प्रज्जवलित और आकर्षक आतिशबाजी कर नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे।

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाहनों को ठेले पर रखकर घुमाया

संत हिरदाराम नगर, देशबन्धु। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर युवा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में ठेले पर मोटर साईकिल रख कर खजुरी सड़क में इंदौर भोपाल राजमार्ग पर घुमाया गया।

इस अवसर पर युवा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ने से हमेशा किसानों ओर आम आदमी की कमर टूटती है। कोरोना की वजह से छोटे छोटे उधोग धंधे बन्द हो रहे हैं ऐसे समय मे मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। युवा कॉंग्रेस पेट्रोल डीजल बढ़ते दामों और किसानों के मुद्दे पर संघर्ष के लिए कर्तव्यबद्ध है और जब तक दाम कम नहीं किये जायेंगे हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और आने वाले समय मे बड़ा आंदोलन करेंगे।

वहीं युवा कॉंग्रेस के भोपाल जिला ग्रामीण अध्यक्ष राहुल मण्डलोई ने कहा कि मूल्यवृद्धि का असर अब आम लोगों पर पड़ने लगा है। अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो आम आदमी को अपने वाहनों को ठेले पर रखकर ही घूमना पड़ेगा और हमे वापस पूर्व की तरह बैलगाड़ियों से घूमना पड़ेगा। इसी के विरोध में युवा कॉंग्रेस सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस मौके पर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष रोहित राजौरिया, जिला महामंत्री किशोर साधवानी, संदीप पाटीदार, विधानसभा अध्यक्ष दशरत राजपूत, विनोद राजपूत, राहुल राजपूत ,सोहन मेवाड़ा गोपील कोतवाल , मुदस्सिर कोसर ,संजय ठाकुर ,आकाश जागीरदार ,अमन राजपूत ,नीरज मीणा ,अजय राजपूत आदि उपस्तिथ थे।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड भोपाल

लिंक रोड नं.-2 माता मंदिर चौराहा के समीप हर्षवर्धन नगर के सामने, भोपाल

Tel.:-(0755)4906088 e-mail:-eephbpl@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर देखा जा सकता है।

सिस्टम जनरेट आईडी क्र.	खण्ड	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र की राशि रू.	ठेके की अनु राशि रू.	अमानत राशि रु.	निविदा आनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि	1. कार्य पूर्ण करने की अवधि 2. ठेकेदार की श्रेणी 3. आमंत्रण क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
2021_PHED_125048_1	भोपाल	भोपाल जिले के विकासखंड फंदा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम फंदाकलां फंदाखुर्द, लखापुर, रसुलिया घाट एवं रातीबड़ में विभिन्न कार्य	15000/-	20540000/-	205400/-	29.01.2021	1. 9 माह 2. लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत पद्धति से पंजीयन अनिवार्य। 3. द्वितीय आमंत्रण

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

दो गज की दूरी, मास्क है जरुरी ।
जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

जी-17932/20

कार्यपालन यंत्री
लो.स्वा.यां.खण्ड, भोपाल

एडीएचआर की मप्र ईकाई का गठन

संत हिरदाराम नगर, देशबन्धु। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक हयूमन राइट्स (एडीएचआर) के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वाष्णेय ने लाल घाटी स्थित सिटी वाक मॉल मे आयोजित पत्रकार वार्ता मे बताया एडीएचआर भारत सरकार द्वारा पंजीकृत व अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर का स्वैच्छिक एवं सह-न्यायिक मानव अधिकार संगठन है, जिसकी पूरे भारतवर्ष में 14 राज्य एवं 65 जिलों में ईकाईयां कार्यरत है। अब 15 वें राज्य के रूप में मध्यप्रदेश राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय महासचिव वाष्णेय ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार अग्रवाल की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश राज्य ईकाई की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अतुल भारद्वाज, उपाध्यक्ष रविन्द्र कुमार वर्मा, वासदेव गुलानी, जितेंद्र चौरसिया, आरती अस्थाना, महासचिव नितिन दीप सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव चौकसे, प्रवक्ता अधिवक्ता महेश कुमार साहू, संगठन सचिव राजेश कटियार, धर्मेश पाटीदार, विधि सचिव अधिवक्ता नीतू त्रिपाठी सहित ग्यारह सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति की की। साथ ही साथ देवास जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में राजीव गुप्ता व जिला महासचिव डा.विजय यादव को बनाया गया है।

वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अतुल भारद्वाज ने कहा कि मैं पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश में व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा,संरक्षण व संवर्द्धन का कार्य पूरी शिद्दत से करूंगा, जिससे आम आदमी के मानव अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और सामाजिक सरोकारों को पूर्ण करते हुए समाज के विभिन्न कार्यों को करने का पूर्ण प्रयास करूंगा।

मिट्ठी गोबिन्दराम एवं नवनिध स्कूल के विद्यार्थियों का इंस्पायर आवार्ड में चयन

संत हिरदाराम नगर, देशबन्धु। शहीद हेमु कालानी एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित मिट्ठी गोबिंदराम पब्लिक स्कूल एवं नवनिध हासोमल लखानी पब्लिक स्कूल के 10 छात्र-छात्राएँ म.प्र. शासन द्वारा जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड हेतु चयनित किए गए हैं। मिट्ठी गोबिन्दराम पब्लिक स्कूल के छात्र काव्य यादव कक्षा-ग्यारहवीं राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुए हैं। इसी तारतम्य में अतिशय जैन , अक्षांश शर्मा, जय मोटवानी, आर्यन पाठक कक्षा-दसवीं, सिद्धार्थ जैन कक्षा-आठवीं तथा नवनिध हासोमल लखानी पब्लिक स्कूल की कक्षा नवमीं की छात्राएँ त्रिशा वर्मा, प्रगति असनानी, वंशिका वाधवा, प्रियांशी चन्द्रवंशी जिला स्तर पर चयनित हुए है। इन समस्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के स्वरूप में.10 हजार रूपये प्रति छात्र-छात्राओं को प्रदान की गई है। संस्था के प्रमुख सिद्ध भाऊ, उपाध्यक्ष हीरो ज्ञानचंदानी, सचिव ए.सी. साधवानी, सह-सचिव के.एल. रामनानी, डॉ. अजयकांत शर्मा, प्राचार्य एवं उप-प्राचार्या श्रीमती रीटा गुरबानी मिट्ठी गोबिंदराम पब्लिक स्कूल एवं श्रीमती अमृता मोटवानी प्राचार्या नवनिध हासोमल लखानी पब्लिक स्कूल द्वारा सभी चयनित विद्यार्थियों को उनके सराहनीय प्रयास के लिए बधाई प्रेषित की गयी।

HDFC BANK
We understand your world

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड़, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचें दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर आयोजित की जावेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण

क्रं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	समान बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक	निरिक्षण की तिथी एवं समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की तिथी/समय	बोली प्राप्ती हेतु अंतिम तिथी	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/ फोन नं./ ई-मेल आईडी
1.	शाखा - अशोक नगर एवं खाता - **आजाद कुमार सुनील कुमार**	**श्री अनिल कुमार जैन एवं श्रीमती संगीता जैन**	प्लाट नं. 187, वार्ड नं. 13, पटवारी हल्का नं. 28, लल्लिराम गली, अशोक नगर, मध्यप्रदेश, संपत्ति मालिक श्री अनिल कुमार जैन	**रु.11,47,617.19** **दिनांक-28/12/2016,** 30.11.2016 को बकाया राशि आगे के ब्याज के साथ ब्याज का समावेश @18% प्रतिवर्ष 01.12.2016 से मासिक के साथ क्रेडिट सुविधाओं के तहत पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक।	12/02/2021 एवं समय- प्रात: 10.00 बजे के बाद	रु. 10,80,000/- रु. 1,08,000/- रु. 20,000/-	26/02/2021 प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक	23/02/2021 सायं 4 बजे तक	आशिष रावत मो.: 9981126266 Ashish.rawat9@hdfcbank.com
2.	शाखा - गंजबासोदा एवं खाता - **बी के एंड संस, प्रोप्रा. श्री भानू कुमार जैन द्वारा प्रतिनिधित्व**	**श्री रोहित जैन एवं श्री गौरव जैन**	वार्ड नं. 03, 295/6 में मकान, मकान नं. 15, अटल बिहारी कॉलोनी, नेहरु चौक, शिवाजी नगर, स्टेशन मेन रोड़, क्षेत्रफल 48.5*17.5 =848.75 वर्गफीट, गंज बासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.) - 464221 स्थित संपत्ति।	**रु.49,78,209.03** **दिनांक-15/06/2017,** 31.05.2017 को बकाया राशि आगे के ब्याज के साथ ब्याज का समावेश @18% प्रतिवर्ष 01.06.2017 से मासिक के साथ क्रेडिट सुविधाओं के तहत पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक।	02/02/2021 एवं समय- प्रात: 10.00 बजे के बाद	रु. 38,25,000/- रु. 3,82,500/- Rs. 50,000/-	25/02/2021 प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक	22/02/2021 सायं 4 बजे तक	आशिष रावत मो.: 9981126266 Ashish.rawat9@hdfcbank.com
3.	शाखा - इन्दौर (म.प्र.) एवं खाता - **मेसर्स अश्व रियलइंफ्रा प्रा. लि.**	**1. श्री अमित चन्द्रवंशी 2. श्रीमती नेहा चंद्रवंशी**	रेवेन्यु सर्वे नं. 125/5 की खुली भूमि, क्षेत्रफल - 0.28 एकड़, 0.113 हेक्टेयर, जो कि स्थित है ग्राम पलासी, प.ह.नं. 05, तेहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, संपत्ति मालिक : श्रीमती नेहा चंद्रवंशी	**रु.2,03,21,821.47 / दिनांक - 25/01/2019,** 31.12.2018 को बकाया राशि आगे के ब्याज के साथ ब्याज का समावेश @18% प्रतिवर्ष 01.01.2018 से मासिक के साथ क्रेडिट सुविधाओं के तहत पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक।	10/02/2021 एवं समय- प्रात: 10.00 बजे के बाद	रु. 85,38,000/- रु. 8,53,800/- रु. 1,00,000/-	20/02/2021 प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक	17/02/2021 सायं 4 बजे तक	आशिष रावत मो.: 9981126266 Ashish.rawat9@hdfcbank.com

नियम एवं शर्ते

1. ई-नीलामी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : 02400930000063, खाता का नाम : FUNDS TO BE CLEARED : DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड डाफ्ट ईएमडी राशि के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर कोई भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/करों के बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों , संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथी एवं समय में ही किया जा सकता है।**
4. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हे लॉगीन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता **मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/ 21/22/23/24, श्री दानिश खान, मोबाईल : 09826804343, 09111444797 एवं श्री हरीश गोवडा मो.: 09594597555,** हेल्पलाईन ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय अवधि (प्रात: 10.00 बजे से 5.00 बजे) के दौरान कार्यदिवसों को संपर्क करें।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
6. **(विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से 15 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 23.01.2021, स्थान : जबलपुर, मध्य प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड